

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर- तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 22/2025
3. उनवान : पोखर पुत्र श्री मूल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर

—रेस्पोंडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 08-08-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।
ब) पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट की ओर से।



निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम माच्छरखानी, पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर तहसील फुलेरा हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित भूमे हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जो पूर्व राजस्व ग्राम जोबनेर था, जिसमें शुरु से ही अपीलान्ट के पिता बालू वल्द लाला संवत 2011 से 2029 की खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम नम्बर 5 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जो काविज काश्त रहा। बालू वल्द लाला की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। जिसके गत खसरा नंबर 2319 दर्ज है। बालू पुत्र लाला के फौत होने पर उसके पुत्र चौधू पुत्र बालू के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 1061 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ तथा चौधू पुत्र बालू द्वारा उक्त वर्णित आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02/08/1977 को बेचान करने पर अपीलान्ट की माता मोहरी बेदा मूल्या के नाम से जरिये नामान्तरण संख्या 250 दर्ज रिकॉर्ड हुआ तथा मोहरी जोजे मूल्या कुम्हार के फौत होने पर अपीलान्ट के हक में विरासत का नामान्तरण संख्या 22 तस्दीक होकर रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तब से बतौर काविज काश्तकार खातेदार अपीलान्ट चला आ रहा है। उक्त आराजीयात से माफी मन्दिर का किसी प्रकार से संबंध व सरोकार नहीं रहा। संवत 2060 से 2063 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1522 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि रही है। जिस पर अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर काविज काश्त चला आ रहा है। जिसको दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर ने अपीलान्ट के उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायेक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सवूत का अवसर दिये अपीलार्थीन नामान्तरण संख्या 449 दिनांक 14/7/2004 को माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरण से व्यथित होकर न्यायालय में अपील पेश की गई। निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट की अपील रवीकर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा (हाल तहसील जोबनेर) जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 449 आदेश दिनांक 14/7/2004 को अपास्त किया जाकर उक्त नामान्तरण की पूर्व प्रविष्टियों की बहाली हेतु तहसीलदार जोबनेर को आदेशित किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट

अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तरण सं० 449 दिनांक 14/07/2004, नामा० सं० 161 दिनांक 29/03/73, नामा० सं० 250 दिनांक 23/09/77, नामा० सं० 22 दिनांक 27/06/87, विक्रय पत्र दिनांक 02/06/1977, खतौनी बन्दोबस्त दिनांक 2011 से 2029, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 एवं 2034 से 2075, खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2042 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। अपील के सन्दर्भ में तहसीलदार (भू. अ.) जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण से जवाब एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तहसीलदार जोबनेर ने जवाब पत्रांक 2612 दिनांक 31.07.2025 एवं मूल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्रेषित की।

तहसीलदार जोबनेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम माच्छरखानी प०ह० जोरपुरा जोबनेर का आ०ख०नं० 1522 रकबा 2.0358 हैक्टयर की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076-79 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थाई, अनुसार माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी हि० पूर्ण दर्ज रिकॉर्ड है। मूल ग्राम जोबनेर की भू-प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 का मूल खसरा नंबर 2319 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नं० 03 में रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह की पट्टी नं० 13 व कॉलम नं० 5 में बालू वल्द लाला कौम कुम्हार सा० देह दर्ज है। सेटलमेन्ट खतौनी पश्चात ख०नं० 2319 भूमि एकीकरण संवत 2019 में परिवर्तन होकर ख०नं० 1522 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नं० 3 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी मजकूर व कॉलम नं० 5 में बालू वल्द लाला जाति कुम्हार सा० देह के नाम दर्ज है। बालू वल्द लाला के फौत होने पर ग्राम जोबनेर का नामा० सं० 161 विरासत से चौथू पुत्र बालू के नाम दर्ज हुआ है। तत्पश्चात नामा० सं० 250 बेचान से मोहरी जोजे मूला कौम कुम्हार सा० देह के नाम दर्ज हुआ। मोहरी जोजे मूला कौम कुम्हार के फौत होने पर ग्राम माच्छरखानी का नामा० सं० 22 विरासत से पोखर पुत्र मूला कौम कुम्हार सा० देह के नाम दर्ज हुआ है। तत्पश्चात नामा० सं० 449 दिनांक 14/07/2004 से पोखर पुत्र मूला कौम कुम्हार सा० देह के बजाय माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है, जो वर्तमान तक दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया कि ग्राम माच्छरखानी में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा में संवत 2011-2029 की खतौनी में बतौर खातेदार कॉलम संख्या 5 में बालू वल्द लाला जाति कुम्हार दर्ज है। बालू वल्द लाला की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि अपीलान्त के नाम दर्ज हुई। जिसके गत खसरा नंबर 2319 दर्ज है। बालू पुत्र लाला के फौत होने पर उसके पुत्र चौथू पुत्र बालू के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 1061 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ तथा चौथू पुत्र बालू द्वारा उक्त वर्णित आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02/08/1977 को बेचान करने पर अपीलान्त की माता मोहरी बेवा मूला के नाम से जरिये नामान्तरण संख्या 250 दर्ज रिकॉर्ड हुआ तथा मोहरी जोजे मूला कुम्हार के फौत होने पर अपीलान्त के हक में विरासत का नामान्तरण संख्या 22 तस्दीक होकर रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तब से बतौर काबिज काश्तकार खातेदार अपीलान्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात से माफी मन्दिर का किसी प्रकार से संबंध व सरोकार नहीं रहा। संवत 2060 से 2063 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्त के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1522 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलान्त की पैतृक भूमि

रही हैं। जिस पर अपीलान्त उक्त आराजीयात पर काबिज काशत चला आ रहा है। जिसको दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर ने अपीलान्त को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्त को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 14/7/2004 को माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम तस्दीक कर दिया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 8 बीघा 1 बिसवा थे जिसके गत खसरा नम्बर 2319 थे जो प्रारम्भ में बालू पुत्र लाला काबिज काशत रहा, के उपरान्त चौधू पुत्र बालू तथा उसके उपरान्त मोहरी बेवा मूल्या एवं उसके उपरान्त अपीलांत के नाम दर्ज हुई तब से लेकर अब तक अपीलान्त उक्त भूमि पर काबिज काशत चला आ रहा है। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्त को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सूचना नहीं दी, ना ही अपीलान्त को सुनवाई का व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया है। जबकि बिना विधिक सूचना व बिना सुने कार्यवाही नहीं की जा सकती। बल्कि एकतरफा कार्यवाही करते हुये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। एकतरफा आदेश व कार्यवाही कानूनन प्रभावहीन है। उक्त भूमि से कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माफी मन्दिर माताजी ज्वाला जी दर्ज कर दिया, जो विधि विरुद्ध है। सन् 2004 में अर्थात् संवत् 2060 से 2063 में 51 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार बिना सूचना एवं बिना सुने बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के खातेदारी हक समाप्त करके उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के प्रचलित प्रावधानों के विरुद्ध होने के बावजूद भी अधिकार माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी को हस्तान्तरित कर दिये। अपीलान्त का नाम बतौर कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था, यह अंकन स्वतः ही नहीं होते हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती है और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नहीं किया जा सकता, आदि को दरकिनार कर विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया जो क्षेत्राधिकार बाहर निर्णय होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि 1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08/02/1952 को माफी माताजी ज्वाला जी के नाम खुद काशत भूमि दर्ज नहीं थी, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आर.टी.एक्ट के प्रावधानों की पालना में भूमि निरन्तर कृषकों के नाम दर्ज रही। जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे, एवं जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुद काशत की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाशत में दर्ज नहीं थी, के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की तह तक नहीं जाकर अवलोकन किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14/7/2004 द्वारा अपीलान्त का उनके पूर्वाधिकारों से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर दिया। जब अपीलान्त से पूर्व खातेदार एवं अपीलान्त भूमि के काशतकार थे तो पश्चात्पूर्ती इन्द्राज को गलत नहीं माना जा सकता, न ही उक्त इन्द्राज तत्समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से किया हुआ माना जावेगा। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमेशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकरण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्त के

पूर्वधिकारी खातेदार हो गये। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 4-3 (2) राज.6/2007 दिनांक 24/5/2007 में स्पष्ट निर्देश है कि गलत ढंग से कृषको का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए को दरकिनार कर उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्त की खातेदारी की जगह माफी मन्दिर दर्ज कर दी। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती है, जो मात्र राजस्व लगा वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं, को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्त को उनके हक व अधिकारों की कृषि भूमि से उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर महरूम कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों का सही तरीके से अवलोकन नहीं कर अपनी मनमर्जी पूर्वक कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर उपरोक्त आराजीयात जिसका किसी भी तरह से कोई संबंध माफी मन्दिर के रूप में नहीं रहा। अपीलान्त ग्रामीण परिवेश के गरीब भोले भाले व्यक्ति हैं। जिन्होंने उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत हल्का पटवारी से दिनांक 16/7/2025 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर माताजी ज्वाला जी का नाम दर्ज देखकर उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के संबंध में जानकारी हल्का पटवारी से ली, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा बताया कि नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 14/7/2004 के द्वारा तहसीलदार फुलेरा ने नाम हटाकर उक्त नाम अंकित कर दिया। जिस पर अपीलान्त ने नामान्तकरण संख्या 449 की नकल मांगी, जो हल्का पटवारी से प्राप्त कर जयपुर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील तैयार कर अविलम्ब अदालत हाजा में प्रस्तुत की। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नहीं देखा जाता। जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि जहां पर विधिक बिन्दू निहित हो वहां पर मियाद के तथ्य पर न्यायालय को सहानुभूति रखनी चाहिए। अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा (हाल तहसील जोबनेर) जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 449 आदेश दिनांक 14/7/2004 को अपास्त किया जाकर उक्त नामान्तकरण की पूर्व प्रविष्टियों को बहाल किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर. आर.टी. 2004 (1) पेज 238, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 228, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1041, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 829, आर.आर.टी. 2006-07 पेज 443 न्यायालयों के दृष्टान्तों का कथन किया। अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस के समर्थन में राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 19.01.2015, 25.11.2011, 24.05.2007, 18.09.2019, 11.06.2020 तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.08.2021, 06.12.2021, 28.02.2021, इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.03.2025, 08.11.2024, 31.07.2024, 27.05.2025 की प्रति पेश की है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि मूल ग्राम जोबनेर की भू-प्रबंध राजस्व ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोबनेर का आ0ख0नं0 1522 रकबा 2.0358 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076-79 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थाई, अनुसार माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी हि0 पूर्ण दर्ज रिकॉर्ड है। मूल ग्राम जोबनेर की भू-प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 का मूल खसरा नंबर 2319 रकबा 8 बीघा 01 बिरवा की खातेदारी कॉलम नं 03 में रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह की पट्टी नं0 13 व कॉलम नं0 5 में बालू वल्द लाला कौम कुम्हार सा0 देह

दर्ज है। सेटलमेन्ट खतौनी पश्चात ख0नं0 2319 भूमि एकीकरण संवत 2019 में परिवर्तन होकर ख0नं0 1522 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नं0 3 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी मजकूर व कॉलम नं0 5 में बालू वल्द लाला जाति कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज है। बालू वल्द लाला के फौत होने पर ग्राम जोबनेर का नामा0 सं0 161 विरासत से चौधू पुत्र बालू के नाम दर्ज हुआ है। तत्पश्चात नामा0 सं0 250 बेचान से मोहरी जोजे मूला कौम कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज हुआ। मोहरी जोजे मूल्या कौम कुम्हार के फौत होने पर ग्राम माच्छरखानी का नामा0 सं0 22 विरासत से पोखर पुत्र मूल्या कौम कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज हुआ है। तत्पश्चात नामा0 सं0 449 दिनांक 14/07/2004 से पोखर पुत्र मूल्या कौम कुम्हार सा0 देह के बजाय माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है, जो वर्तमान तक दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम भियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है। RRT 2018(1) Balmet & Others v/s State of Rajasthan में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि "Delay is not fatal when the mutation is illegal"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 भियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील तहसीलदार फुलेरा (हाल तहसील जोबनेर) द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं0 449 दिनांक 14/07/2004 के विरुद्ध विचाराधीन है। प्रकरण में तहसीलदार जोबनेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि "मूल ग्राम जोबनेर की भू-प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 का मूल खसरा नंबर 2319 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नं0 03 में रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह की पट्टी नं0 13 व कॉलम नं0 5 में बालू वल्द लाला कौम कुम्हार सा0 देह दर्ज है। सेटलमेन्ट खतौनी पश्चात ख0नं0 2319 भूमि एकीकरण संवत 2019 में परिवर्तन होकर ख0नं0 1522 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नं0 3 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी मजकूर व कॉलम नं0 5 में बालू वल्द लाला जाति कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज है। बालू वल्द लाला के फौत होने पर ग्राम जोबनेर का नामा0 सं0 161 विरासत से चौधू पुत्र बालू के नाम दर्ज हुआ है। तत्पश्चात नामा0 सं0 250 बेचान से मोहरी जोजे मूला कौम कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज हुआ। मोहरी जोजे मूल्या कौम कुम्हार के फौत होने पर ग्राम माच्छरखानी का नामा0 सं0 22 विरासत से पोखर पुत्र मूल्या कौम कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज हुआ है।"

तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न भूमि एकीकरण जमाबन्दी संवत 2019 के क्रम संख्या 672 खाता नम्बर 675 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में उपरोक्त माफी मंदिर श्री माता ज्वालाजी मजकूर अंकित है तथा कॉलम 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, श्रेणी कृषक में बालू पुत्र लाला जाति कुम्हार सा0 देह अंकित है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

भू-प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर साल 2011 से 2029 के कॉलम नंबर 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में "रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंहजी पट्टी नं0 13" कॉलम नं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, श्रेणी कृषक में "बालू वल्द लाला कौम कुम्हार सा०देह माछरखानी" अंकित है।

तहसीलदार व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भू-प्रबन्ध जमाबन्दियों संवत् 2011 से 2029 में विवादित भूमि राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंहजी के नाम (भोक्ता) दर्ज थी तथा काश्तकार बालू वल्द लाला कौम कुम्हार खातेदार दर्ज थे। भूमि एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2019 में भोक्ता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वालाजी महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंहजी पुत्र श्री कर्ण सिंह जाति राजपूत अंकित था परन्तु काश्तकार बालू वल्द लाला जाति कुम्हार थे। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार साबिक खसरा नंबर 2319 मुताबिक सैटलमेन्ट जमाबन्दी राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी की जागीर है, जिसके काश्तकार बालू वल्द लाला जाति कुम्हार थे अर्थात् खसरा नम्बर 2319 जागीरदार के खुदकाश्त में नहीं था तथा भूमि एकीकरण पश्चात मूल खसरा नंबर 2319 से वर्तमान खसरा नंबर 1522 कायम किया गया है एवं विवादग्रस्त आराजी ख0 नं0 1522 विक्रय से जरिये नामान्तरण संख्या 250 मोहरी बेवा मूल्या कौम कुम्हार के नाम दर्ज हुयी एवं विरासतन जरिये नामान्तरण संख्या 22 मोहरी बेवा मूल्या के बजाय पोखर पि0 मूल्या कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज हुई।

अपीलाधीन नामान्तरण सं0 449 तहसीलदार फुलेरा द्वारा दिनांक 14/07/2004 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13/12/91 की पालनार्थ पुजारी का नाम विलोपित किया गया क्रमांक क. 2(4)राज/4/90/37 जयपुर जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व-5/2003/3231 दि० 20/03/2003 व देवस्थान के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/19/दिनांक 06.03.03 का उल्लेख किया गया है।

राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0क्र-3(2) राज-6/2007/14 जयपुर दिनांक 24/5/2007 के पैरा सं0 3 में अंकित किया है कि "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि० 13-12-91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। पैरा सं० 5 में अंकित किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

तहसीलदार द्वारा प्रेषित नामान्तरण संख्या 449 की प्रति में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.12.91 का उल्लेख किया गया है परन्तु राज्य सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-2(4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 के किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने



का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (मुप-ए) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज-6/07/19 दिनांक 25/11/11 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र क्रमांक प.2(4)राज-4/98/37 के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विरुद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन से परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को अपीलार्थी नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। नियमानुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए समाप्त नहीं की जा सकती। तहसीलदार फुलेरा भाफी मन्दिर की भूमि का भी संरक्षक है। उनके द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर में मूल खसरा नंबर 2319 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नं० 5 में बालू वल्द लाला कौम कुम्हार कृषक के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा द्वारा एक ही नामान्तकरण पत्र में 3 खातों का अंकन किया गया है, जो विधि अनुरूप नहीं है।

राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1522 में खातेदार का नाम बिना विधिक प्रक्रिया, बिना जांच, नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 14/7/04 द्वारा विलोपित कर दिया गया, जो कि दिनांक 13.12.91 को जारी परिपत्र/पत्र की भावना के खिलाफ था। तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब/रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1522 के सम्बन्ध में कोई रेफरेंस किए जाने या कोई रेफरेंस कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित होने बाबत उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्यों, रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि तत्समय राजस्व कार्मिकों व तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए व बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए उक्त नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण व विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 14/07/2004 विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलांत की हद तक नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 14/07/2004 न्यायालय तहसीलदार फुलेरा (हाल तहसील जोबनेर), जिला जयपुर को खारिज किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अधिनियम में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।



निर्णय आज दिनांक 08/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फेरसू दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।

(कन्ताल विशनोई)
आपि जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर